मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

क्रमांक एफ / 10—5 / 2012 / सत्रह / मेडि—दो   भोपाल, दिनांक 07.10.2014

राज्यशासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22.09.2012 एवं हेल्थ के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 के अनुक्रम में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्र (इन्द को छोड़कर) स्वास्थ्य सेवा प्रदाय क्षेत्र के लिए निम्नानुसार विशेष पैकेज नीति निर्धारित करता है:

1/ हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की परिभाषा संशोधित कर 100 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरों को भी मान्य किया जाए।

2/(अ) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

100 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 1 एकड़ तक,
200 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 2 एकड़ तक,
300 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 3 एकड़ तक,
400 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु 4 एकड़ तक,
500 सुपर स्पेशलिटी बिस्तरीय या उससे अधिक बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हे 5 एकड़ तक,
शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाये।

(ब) शासकीय भूमि के मूल्य में नगरवार छूट निम्नानुसार रखी जाये :—
भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 40%
जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर व अन्य नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंच क्षेत्र (इन्दौर को छोड़कर) में 60%

(स) प्रशासकीय विभाग द्वारा पारदर्शी प्रकिया के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु उप निवेशक का चयन किया जाए।

(द) शासकीय भूमि के मूल्य में रियायत, भूमि के मूल्य को छोड़कर कुल परियो लागत की 25 % से अधिक नहीं होगी।

निरन्तर..

(ई) आवंटित भूमि पर अस्पताल निर्माण का कार्य एक वर्ष में प्रारंभ करने की अनिवार्यता होगी व विलंब की दशा में भूमि का आवंटन स्वमेव निरस्त माना जाएगा व भूमि पुनः शासन में वेष्ठित हो जाएगी। आवंटन तिथि से तीन वर्ष की कुल अवधि में अस्पताल का संचालन प्रारंभ करना होगा।

(च) रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर परियोजना के लिए पूंजीगत व ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(छ) अस्पताल के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर जनरल वार्ड के लिए कुल बिस्तर क्षमता के 50 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रखने की अनिवार्यता रहेगी।

(ज) आवंटित भूमि का उपयोग किसी भी दशा में 'सुपर स्पेशलिटी अस्पताल' के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

3/ सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एन.ए.बी.एच. से अधिमान्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी जाए।

हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2012 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार तोमर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ/10–5/2012/सत्रह/मेडि–दो
भोपाल, दिनांक 07.10.2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

निरन्तर.....